COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

श्रम विधि (विवरणी देने और [1][रजिस्टर रखने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण)] अधिनियम, 1988

(1988 का अधिनियम संख्यांक 51)

[24 सितंबर, 1988]

[2][**कतिपय श्रम विधियों के अधीन कम संख्या में व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों के संबंध में विवरणी देने और रजिस्टर रखने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम**]

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्रम विधि (विवरणी देने और [2][रजिस्टर रखने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण)] अधिनियम, 1988 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) के संबंध में इस अधिनियम की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य* को लागू नहीं होगी।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति इस अधिनियम के किसी उपबंध में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "नियोजन" का, उस अनुसूचित अधिनियम के संबंध में जो ऐसे पद की परिभाषा करता है, वही अर्थ है जो उसका उस अधिनियम में है और किसी अन्य अनुसूचित अधिनियम के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे उस अधिनियम के अधीन विवरणी देने या रजिस्टर रखने की अपेक्षा की जाती है ;

(ख) "स्थापन" का वही अर्थ है जो उसका किसी अनुसूचित अधिनियम में है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है :—

(i) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "औद्योगिक या अन्य स्थापन" ;

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "कारखाना" ;

(iii) ऐसा कोई कारखाना, कर्मशाला या स्थान जहां कर्मचारियों को ऐसे किसी अनुसूचित नियोजन में, जिसको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है, नियोजित किया जाता है या कर्मकारों को काम दिया जाता है ;

(iv) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "बागान" ; और

(v) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "समाचारपत्र स्थापन" ;

(ग) "प्ररूप" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुसूचित अधिनियम" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत है और जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसे राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त है जिन पर ऐसे अधिनियम का साधारणतः विस्तार है और इसके अंतर्गत उसके अधीन बनाए गए नियम हैं ;

(ङ) "लघु स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जिसमें दस से अन्यून और [3][चालीस] से अनधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी दिन नियोजित थे ;

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2014 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) "अति लघु स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जिसमें नौ से अनधिक व्यक्ति नियोजित हैं या किसी पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी दिन नियोजित थे ।

3. कतिपय श्रम विधियों का संशोधन—अनुसूचित अधिनियम, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे ।

[1][**4. कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपेक्षित विवरणियों और रजिस्टरों को देने या रखने के लिए छूट**—(1) अनुसूचित अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ही लघु स्थापन या अति लघु स्थापन के संबंध में किसी नियोजक को जिसको अधिसूचित अधिनियम लागू होता है, विवरणी प्रस्तुत करना या रजिस्टर रखना, जो उस अनुसूचित अधिनियम के अधीन दी जाने या रखे जाने के लिए अपेक्षित है, किसी नियोजक के लिए आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह तब जब ऐसा नियोजक कार्य स्थल पर, —

(क) ऐसी विवरणी के बदले प्ररूप 1 में वार्षिक विवरणी देता है ; और

(ख) ऐसे रजिस्टरों के बदले में, —

(i) लघु स्थापनों की दशा में प्ररूप 2 और 3 प्ररूप में रजिस्टर रखता है, और

(ii) अति लघु स्थापनों की दशा में प्ररूप 3 में रजिस्टर रखता है :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक नियोजक—

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 18 और धारा 30 के अधीन बनाए गए न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 में विहित प्ररूप में मजदूरी पर्ची और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 13क और धारा 26 के अधीन बनाए गए मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मकारों द्वारा किए गए काम की मात्रा के मापमान से संबंधित पर्चियां देना जारी रखेगा ; और

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 88 और धारा 88क और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 32क और धारा 32ख के अधीन दुर्घटनाओं से संबंधित विवरणियां फाइल करता रहेगा ।

(2) प्ररूप 1 में वार्षिक विवरणी और प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में रजिस्टर और उपधारा (1) में यथा उपबंधित मजदूरी पर्ची, मजदूरी बही और अन्य अभिलेख, किसी नियोजक द्वारा कंप्यूटर, कंप्यूटर फ्लापी, डिस्केट या अन्य इलैक्ट्रोनिक मीडिया और ऐसी विवरणियों, रजिस्टरों, बहियों और अभिलेखों के प्रिंट आउट में रखा जा सकेगा :

परन्तु कंप्यूटर, कंप्यूटर फ्लापी, डिस्केट या अन्य इलैक्ट्रोनिक रूप की दशा में ऐसी विवरणियां, रजिस्टर, बहियों और अभिलेख या उसमें किसी भाग का प्रिंट आउट मांग किए जाने पर निरीक्षक को उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(3) प्ररूप 1 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नियोजक या कोई व्यक्ति इसे या तो मुद्रित रूप में या इलैक्ट्रोनिक मेल के माध्यम से अनुसूचित अधिनियमों के अधीन विहित निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा यदि निरीक्षक या प्राधिकारी के पास ऐसी इलैक्ट्रोनिक मेल प्राप्त करने की सुविधा हो ।

(4) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित अधिनियम के अन्य सभी उपबंध जिनमें विशिष्टतः उस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा रजिस्टरों का निरीक्षण और प्रस्तुत उनकी प्रतियां सम्मिलित हैं, अधिनियम के अधीन दी जाने या रखे जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों और रजिस्टरों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अनुसूचित अधिनियम के अधीन विवरणियों और रजिस्टरों को लागू होते हैं ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्थापन के संबंध में जहां कोई नियोजक जिसको कोई अनुसूचित अधिनियम लागू होता है, उपधारा (1) के परंतुक में यथा उपबंधित विवरणी देता है या रजिस्टर रखता है वहां उस अनुसूचित अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात उस अधिसूचित अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने या रजिस्टर रखने में उसकी असफलता के लिए उसे किसी शास्ति का दायी नहीं बनाएगी ।"]

5. व्यावृत्ति—इस अधिनियम के प्रारंभ का निम्नलिखित, अर्थात् :—

(क) किसी अनुसूचित अधिनियम के किसी उपबंध के पूर्वतर प्रवर्तन या सुसंगत अवधि से पूर्व उस उपबंध के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर ;

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 33 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLARI

(ख) सुसंगत अवधि के पूर्व, किसी अनुसूचित अधिनियम के अधीन पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ;

(ग) सुसंगत अवधि के पूर्व, किसी अनुसूचित अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत या अधिरोपित किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर ;

(घ) उपरोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार उस अनुसूचित अधिनियम के अनुसार ही संस्थित किया जाएगा, जारी रखा जाएगा या निपटाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "सुसंगत अवधि" पद से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान कोई स्थापन इस अधिनियम के अधीन कोई लघु स्थापन या अति लघु स्थापन है या था ।

6. शास्ति—वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर—

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; और

(ख) किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी किंतु जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

7. प्ररूप का संशोधन करने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, किसी प्ररूप का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि ऐसा प्ररूप उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तद्नुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, यदि वह सत्र में है तो, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और यदि वह सत्र में नहीं है तो उसके पुनः समवेत होने के सात दिन के भीतर रखी जाएगी और केन्द्रीय सरकार उस तारीख के, जिस तारीख को यह अधिसूचना इस प्रकार लोक सभा के समक्ष रखी जाती है, प्रारंभ से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर एक संकल्प के प्रस्ताव द्वारा अधिसूचना पर संसद् का अनुमोदन प्राप्त करेगी और यदि संसद्, अधिसूचना में कोई परिवर्तन करती है या यह निदेश देती है कि अधिसूचना निष्प्रभाव हो जानी चाहिए तो, यथास्थिति, वह अधिसूचना तदुपरि ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी हो जाएगी किन्तु इससे उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो, केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

[1][पहली अनुसूची

[धारा 2(घ) देखिए]

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)

2. साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942 (1942 का 18)

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

4. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)

5. बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69)

6. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45)

7. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)

8. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21)

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 33 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLARI

9. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का 32)
10. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)
11. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11)
12. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)
13. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)
14. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54)
15. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61)
16. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)

दूसरी अनुसूची

[धारा 2(ग) देखिए]

प्ररूप 1

[धारा 4(1) देखिए]

वार्षिक विवरणी

(अगले वर्ष के 30 अप्रैल से पूर्व क्रमिक अनुसूचित अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट निरीक्षक या प्राधिकारी को दिए जाने के लिए)

(31 मार्च.............को समाप्त)

1. स्थापन का नाम, उसका डाक का पता, टेलीफोन नं० फैक्स नं०, ई-मेल पता और अवस्थान..
....

2. स्थापन का नाम, उसका डाक का पता, टेलीफोन नं० फैक्स नं०, ई-मेल पता और अवस्थान..
....

3. मुख्य नियोजक का नाम और पता, यदि नियोजक कोई ठेकेदार है..
....

4. पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक का नाम..
   (i) नियोजक द्वारा चलाए गए कारबार, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय का नाम...
   ....
   (ii) कारबार, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख..

5. ईएसआई/ईपीएफ/कल्याण निधि/पैन नं० के अंतर्गत नियोजक का नं०, यदि कोई हो...

6. उस वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित अधिकतम कर्मकारों की संख्या, जिसको यह विवरणी संबंधित है :

प्रवर्ग	अत्यन्त कुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल
पुरुष				
महिला				
बालक (जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है)				
कुल				

7. वर्ष के दौरान नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या :

8. वर्ष के दौरान किए गए श्रमिक कार्य दिनों की कुल संख्या :

9. वर्ष के दौरान कर्मकारों की संख्या :
   (क) छंटनी किए गए :

COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLARI

(ख) त्यागपत्र देने वाले :

(ग) पर्यवसित :

10. संदत्त छंटनी प्रतिकर और सेवांत प्रसुविधाएं (प्रत्येक कर्मकार के संबंध में पूर्ण रूप से सूचनाएं प्रदान करें)..........................
....

11. वर्ष के दौरान निम्नलिखित कारण हुई श्रमिक दिनों की हानि—

(क) हड़ताल :

(ख) तालाबंदी :

(ग) घातक दुर्घटनाएं :

(घ) अघातक दुर्घटनाएं :

12. हड़ताल या तालाबंदी के कारण :

14. संदत्त कुल मजदूरी (मजदूरी के साथ अतिकाल कार्य अलग से दर्शाया जाए) :

14. की गई मजदूरी से कटौतियों की कुल रकम :

15. वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या :

	कारखानों/डाक सुरक्षा निरीक्षक को रिपोर्ट	कर्मचारी राज्य बीमा निगम को रिपोर्ट	कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को रिपोर्ट	अन्य
घातक				
अघातक				

16. वर्ष..................के दौरान कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन संदत्त प्रतिकर—

(i) घातक दुर्घटनाएं :

(ii) अघातक दुर्घटनाएं :

17. बोनस*

(क) बोनस के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या :

(ख) घोषित बोनस का प्रतिशत और कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बोनस संदत्त किया गया :

(ग) बोनस के रूप में संदेय रकम :

(घ) वास्तविक रूप में संदत्त बोनस की कुल रकम और संदाय की तारीख :

स्थान :

प्रबंधक/नियोजक के हस्ताक्षर
और स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम

तारीख :

उपाबंध 1*

ठेकेदार का नाम और पता	ठेके की अवधि ....से.......... तक	काम का स्वरूप	प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या	कार्य दिवसों की संख्या	किए गए कार्य के श्रमिक दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6

* यदि लागू न हो तो काट दें ।

COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLARI

उपाबंध 2

(मद सं० 6 देखिए)

क्रम संख्या	कर्मचारी/कर्मकार का नाम	नियोजन की तारीख	स्थायी पता
1	2	3	4

प्ररूप 2

[धारा 4(1) देखिए]

नियोजित व्यक्ति-सह-नियोजन कार्ड रजिस्टर

स्थापन का नाम, पता, टेलिफोन नं०, फैक्स नं० और ई-मेल का पता..

....

काम का अवस्थान...

मुख्य नियोजक का नाम और पता, यदि नियोजक कोई ठेकेदार है...

....

1. कर्मकार/कर्मचारी का नाम...

2. पिता/पति का नाम..

3. पता :

(i) वर्तमान..

(ii) स्थायी...

4. नामनिर्देशिती/निकट संबंधी का नाम और पता...

5. पदनाम/प्रवर्ग...

6. जन्म की तारीख/आयु...

7. शैक्षिक अर्हताएं..

8. प्रवेश की तारीख..

9. कर्मकार की पहचान सं०/ईएसआई/ईपीएफ/एल०डब्ल्यू०एफ० नं०...

10. यदि नियोजित व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु का है, तो क्या आयु का प्रमाणपत्र रखा जाता है..

11. लिंगः पुरुष या स्त्री...

12. राष्ट्रीयता...

13. कारण सहित नियोजन के पर्यवसान की तारीख..

14. कर्मकार/कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान...

15. नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर..

ठेकेदार/मुख्य नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।

COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLARI

प्ररूप 3

[धारा 4(1) देखिए]

मस्टर रोल-सह्-मजदूरी रजिस्टर

स्थापन का नाम और पता...

काम का अवस्थान...

नियोजक का नाम और पता...

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं०	कर्मकार का नाम (पहचान सं०, यदि कोई है) और पिता/पति का नाम	पदनाम/ प्रवर्ग/ किए गए कार्य का स्वरूप	उपस्थिति (महीने की तारीखें 1, 2,........31 तक)	शोध्य छुट्टी (अर्जित छुट्टी और अन्य प्रकार की स्वीकार्य छुट्टी)	ली गई छुट्टी (विनिर्दिष्ट करें)	मजदूरी की दर/वेतन या मात्रानुपाती दर/मजदूरी प्रति इकाई	अन्य भत्ते, उदाहरणार्थ (क) मंहगाई भत्ता (ख) मकान किराया भत्ता (ग) रात्रि भत्ता (घ) विस्थापन भत्ता (ङ) बाह्य यात्रा भत्ता
							(क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

9	10	11	12	13	14	15	16
मास में घंटों की संख्या में किया गया अतिकाल कार्य	अतिकाल कार्य की मजदूरी की रकम	अग्रिम रकम और अग्रिम का प्रयोजन	कुल/सकल उपार्जन	कटौतियां, उदाहरणार्थ (क) भविष्य निधि (ख) अग्रिम (ग) कर्मचारी राज्य बीमा (घ) अन्य रकम	संदेय शुद्ध रकम (12-13)	हस्ताक्षर/ मजदूरियों की पावती/ स्तंभ सं० 14 के लिए भत्ते	टिप्पणियां
				(क) (ख) (ग) (घ)			

मुख्य नियोजक द्वारा प्रमाणपत्र यदि नियोजक कोई ठेकेदार है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ठेकेदार ने इस रजिस्टर में यथादर्शित उसके द्वारा नियोजित कर्मकारों को मजदूरी संदत्त कर दी है।

मुख्य नियोजक/मुख्य नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।]

______